

(T)

संचालनालय आयुष, म0प्र0
(अपर बेसमेंट "बी" विंग, सतपुडा भवन, भोपाल-462004)

www.ayush.mp.gov.in

E-mail: jdayush@mp.gov.in

Office (0755)2552931

Fax (0755) 2760225

--:विज्ञापन:--

म0प्र0 आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग स्नातक प्रवेश नियम-2018 के क्रम में उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु इच्छुक नीट-2018 में सम्मिलित अभ्यर्थियों को निम्नानुसार जानकारी एम0पी0 ऑनलाइन के पोर्टल पर पंजीयन के लिए दर्ज कराना आवश्यक है। तदनुसार ही आगामी प्रवेश प्रक्रिया संपादित हो सकेगी। अतः समस्त इच्छुक अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि निम्नानुसार जानकारी एम0पी0 ऑनलाइन www.mponline.gov.in के पोर्टल पर दिनांक 05/09/2018 से 12/09/2018 तक दर्ज करावें:-

- 1 अभ्यर्थी (नीट-2018) का रोल नम्बर:-
- 2 नाम (नीट-2018 में दर्ज):-
- 3 पिता का नाम:-
- 4 माता का नाम:-
- 5 राष्ट्रीयता:-
- 6 जन्मतिथि (नीट-2018 में दर्ज):-
- 7 लिंग (म0/पु0):-
- 8 प्रवर्ग/संवर्ग (UR/ST/SC/OBC)/(F/PH/FF/S):-
- 9 12वीं में फिजिक्स, कैमिस्ट्री एवं बायोलॉजी के कुल प्राप्तांक:-
- 10 10वीं/12वीं में ऊर्ध्व विषय में प्राप्तांक (सिर्फ बीयूएमएस हेतु लागू):-
- 11 नीट-2018 के प्राप्तांक:-
- 12 नीट-2018 के परसेन्टाइल:-
- 13 नीट-2018 के प्राप्त कॉमन रैंक:-
- 14 मूल/स्थानीय निवासी-म.प्र./अन्य राज्य:-
- 15 स्थाई पता:-
- 16 मोबाइल नं0:-
- 17 ई-मेल आईडी0:-

नीट-2018
अनुसार फोटो

नोट:-

1. म.प्र. के शासकीय स्वशासी/निजी होम्योपैथी महाविद्यालयों में संचालित बीएएमएस/बीएचएमएस/बीयूएमएस/बीएनवायएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को उपरोक्तानुसार पंजीयन कराना आवश्यक है। अन्यथा प्रवेश प्रक्रिया संपादित न हो पाने के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
2. प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को एम0पी0 ऑनलाइन द्वारा निर्देशित पंजीयन प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक है।
3. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि पोर्टल पर दर्ज की जाने वाली जानकारी सत्य एवं प्रमाणित होनी चाहिये। जानकारी सबमिट करने के पूर्व एक बार पुनः सभी अंकित जानकारी की पुष्टि कर लेवे। असत्य व अप्रमाणित जानकारी दर्ज करने के कारण प्रवेश प्रक्रिया के किसी भी चरण में अमान्य घोषित हो जाने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
4. प्रवेश हेतु इच्छुक सभी अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त रजिस्ट्रेशन सह अभिलेख सत्यापन मैरिट तैयार किये जाने की प्रक्रिया उक्त प्रवेश नियम के नियम-9.4 एवं 9.5.2 के अनुसार एक ही बार (उक्त अवधि में) संपन्न की जावेगी तथा उक्त तैयार मैरिट के आधार पर ही प्रवेश काउंसिलिंग की आवश्यक प्रक्रिया संपादित की जावेगी। पंजीयन एवं अभिलेख सत्यापन दिनांक समाप्त हो जाने के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश काउंसिलिंग प्रक्रिया के किसी भी चरण में शामिल नहीं किया जावेगा जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
5. उक्त प्रवेश नियम व अन्य आवश्यक जानकारी संचालनालय आयुष म0प्र0 भोपाल की वेबसाइट www.ayush.mp.gov.in & www.ayush.mponline.gov.in पर उपलब्ध है।
6. उक्त प्रवेश नियमों में नियम-9.8.2 में अंकित एम0पी0 ऑनलाइन के कस्टमर केयर नंबर 0755-4036805 के स्थान पर 0755-6720206 पर संपर्क किया जा सकता है।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित

(डॉ० सतीशचन्द्र शर्मा)
प्र0संयुक्त संचालक
संचालनालय आयुष म0प्र0